न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 18/20 **निर्णय दिनांकः** 31-3-21
(आरसीएमएस संख्या 2020/00120)

1. चरण सिंह पुत्र श्री गुरूदत्त सिंह जाति रायसिक्ख निवासी चक 11 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23–07–1988
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 23–07–1988 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ चक 11 केवाईडी का निवासी होने के सबूत व शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को चक 13 एच बड़ा तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर का निवासी मानते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट बीकानेर जिले का निवासी नहीं है।। इसलिए आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जबकि इस संबंध में अपीलांट ने कार्यालय पंचायत समिति बीकानेर का प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि अपीलांट चक 11 केवाईडी ग्राम पंचायत दंतौर तहसील बीकानेर का निवासी है। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट बीकानेर का मूल निवासी नहीं है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

5. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–07–1988 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील 11–09–2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.13 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत यथा बीकानेर का मूल निवासी होने के संबंध में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पत्र पर प्रार्थी चरण सिंह के पिता गुरूदत्त के नाम से चक 11 केवाईडी में 25 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की रिपोर्ट अंकित की गई है, परन्तु अपीलांट चरण सिंह को चक 13 एस बड़ा का मुल निवासी बताते हुए मूल निवासी व भूमि के संबंध में सबूत लिये जाने के बाबत् रिपोर्ट अंकित की गई है। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के अनुसरण में अपीलांट को बीकानेर का मूल निवासी होने के संबंध में वांछित सबूत प्रस्तुत करने बाबत् किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किये जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किये बिना दिनांक 23—07—1988 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत यथा बीकानेर का मूल निवासी नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया गया।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि क्या अपीलांट बीकानेर का मूल निवासी है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से बिना तथ्यों की जांच व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से एक माईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बीकानेर का मूल निवासी नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नामावली 1980 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें चरणसिंह पुत्र दुरूदत्त को बीकानेर का मूल निवासी बताया गया है। इसी प्रकार बीकानेर का मूल निवासी होने के संबंध में अपीलांट द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई है जिससे प्रथम दृष्टया साबित है कि अपीलांट बीकानेर का मूल निवासी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–07–1988 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें।

7. निर्णय आज दिनांक 31-3-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
न्यायालय अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.15 12:17:46 IST
Reason: SelfAttested